प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

विविध अपील (प्रतिकर) संख्या 589 / 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यूनाइटेड इण्डिया इन्सुरेंस कंपनी

बनाम

शिव प्रसाद कश्यप एवं अन्य

आदेश

आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 14.01.2009 के लिए सूचीबद्ध

हस्ता. /-

दिलीप रावसाहब देशमुख

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

विविध अपील (प्रतिकर) संख्या 589 / 2006

अपीलार्थी/अनावेदक क्र. 5 : यूनाइटेड इंडिया इनश्योरेंस कंपनी, द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय राजेंद्र नगर चौंक, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण/दावेदार :
1. शिव प्रसाद कश्यप, पिता मटरूराम, उम्र 36 वर्ष, साकिन ग्रा. पैंजनिया, तहसील लोरमी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक क्र. 1 :
2. देवी प्रसाद तिवारी, उम्र 48 वर्ष, पिता भानु प्रसाद तिवारी, साकिन पंडरिया, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम, (छ.ग.)

अनावेदक क्र. 2 :
3. संतोष कुमार यादव, उम्र 37 वर्ष, साकिन बेलगहना, इंदिरा आवास,थाना कोटा, पोस्ट – बेलगहना जिला बिलासपुर, (छ.ग.)

अनावेदक क्र. 3 :
4. न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, राजेंद्र नगर चौक, बिलासपुर, (छ.ग.)

अनावेदक क्र. 4 :
5. शिव कुमार सराफ, लिंक रोड बिलासपुर, द्वारा शेख अयूब, उम्र 42 वर्ष, पिता शेख

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मन्नू साकिन राजीव गाँधी चौक, बिलासपुर, (छ.ग.)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील

उपस्थित: श्री दशरथ गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री रविन्द्र अग्रवाल, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता

श्री सौरभ शर्मा, उत्तरवादी क्र. 4 की ओर से अधिवक्ता

श्री आर.डी. राय, उत्तरवादी क्र. 5 की ओर से अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(14 जनवरी 2009 को पारित)

1. अपीलार्थी/बीमाकर्ता प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बिलासपुर (एतदपश्चात 'न्यायाधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 53/2005 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2006 से व्यथित हैं, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भुगतान और वसूली का आदेश पारित किया गया है, जबकि उसे प्रतिकर देने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

2. यह स्वीकार्य तथ्य है कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार - शिव प्रसाद कश्यप एक यात्री के रूप में सवार होकर किराए पर टैंकर क्रमांक सी.जी.10/जेडबी/0109 (एतदपश्चात 'टैंकर') में यात्रा कर रहा था। गाँव बिनोरी के पास, सामने की ओर से आने वाली बस क्रमांक सी.जी.10 जेडए 0552 (एतदपश्चात 'बस') को देखकर, टैंकर के चालक हरनारायण कश्यप ने टैंकर को अपनी बाईं ओर मोड़ दिया और इस प्रक्रिया मे टैंकर पुलिया की दीवार से टकरा गया और पलट गया। टैंकर के चालक हरनारायण कश्यप और हेल्पर सूरज लुनिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार को गंभीर चोटें आईं है।

3. प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एतदपश्चात 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत प्रतिकर के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। अपीलार्थी/बीमाकर्ता ने पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया एवं अन्य बातों के साथ साथ यह भी तर्क दिया कि दुर्घटना के समय टैंकर को बीमा पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था।

4. न्यायाधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय के पैराग्राफ - 11 में यह माना गया है कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार एक यात्री के रूप में सवार होकर किराए पर टैंकर पर यात्रा कर रहा था, जो कि एक मालवाहक वाहन है, जो बीमा पॉलिसी का उल्लंघन था। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा यह माना गया है कि प्रतिकर देने का दायित्व अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर नहीं डाला जा सकता है। अधिनिर्णय के पैरा 19 में, न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी/बीमाकर्ता को अधिनिर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष ₹72,000/- का प्रतिकर जमा करने और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 - टैंकर के मालिक से इसे वसूल करने का आदेश दिया गया है। इसी आदेश से व्यथित होकर बीमाकर्ता द्वारा इसे अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री दशरथ गुप्ता द्वारा दृढ़ता पूर्वक कथन प्रस्तुत किया गया है कि, इस तथ्य के दृष्टिगत कि घायल व्यक्ति को टैंकर पर, एक मालवाहक वाहन में, एक यात्री के रूप में किराए पर सवार कर ले जाया जा रहा था, अतः बीमा कंपनी पर प्रतिकर देने का कोई भी दायित्व, चाहे वह वैधानिक हो या संविदात्मक, नहीं बनता है। उन्होंने **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती बोदाली बाई और अन्य, एम. ए. (सी.) क्रमांक 1243 ऑफ 2007, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बनाम रतन कुमार साहा और अन्य, एम. ए. (सी.) क्रमांक 1292 ऑफ 2007, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रतन कुमार साहा और अन्य, एम. ए. (सी.) क्रमांक 1244 ऑफ 2007 और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बनाम श्रीमती बोदाली बाई और अन्य, एम. ए. (सी.) क्रमांक 1271 ऑफ 2007** के निर्णय पर अवलंब लिया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा 19.02.2008 को निर्णीत किए गए थे, जिसके अंतर्गत **नेशनल इंश्योरेंस**

कंपनी लिमिटेड बनाम बोमिथी सुब्बयम्मा और अन्य, प्रकाशित 2005 (2) टीएसी 1 (एससी) पर अवलंब लेते हुए इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को पहले दावेदारों को प्रतिकर देने और फिर मालिक से इसे वसूल किये जाने का आदेश देना उचित नहीं है, जहाँ यह निष्कर्ष दर्ज किया गया हो कि, बीमा कंपनी पर प्रतिकर देने का कोई भी दायित्व नहीं बनता है, चाहे वह वैधानिक हो या संविदात्मक।

6. प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार के विद्वान अधिवक्ता, श्री रविंद्र अग्रवाल द्वारा अपीलार्थी के दावे के विरोध में एवं न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया है कि, मुआवजे में वृद्धि के लिए प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार द्वारा दायर की गई अपील विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 47/2007 को इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2007 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 - देवी प्रसाद तिवारी ने नोटिस की तामिली के बावजूद वर्तमान अपील में भाग नहीं लिया है। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 - संतोष कुमार यादव अर्थात बस चालक पर नोटिस की तमिली को माफ कर दिया गया क्योंकि न्यायाधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

8. प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता, श्री सौरभ शर्मा ने भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन करते हुए तर्क दिया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा **न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम दर्शना देवी एवं अन्य, प्रकाशित (2008) 7 एससीसी 416** पर अवलंब लेते हुए, दृढ़ता से यह प्रस्तुत किया गया है कि, भुगतान और वसूली का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था।

9. प्रत्यर्थी क्रमांक 5/ टैंकर के मालिक के विद्वान अधिवक्ता, श्री आर.डी. राय द्वारा इस विवाद पर विरोध नहीं किया गया है कि, अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर आहत व्यक्ति के जोखिम को वहन करने का कोई भी वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं था, जिसे टैंकर पर, जो की एक मालवाहक वाहन है, उसपर एक यात्री के रूप में सवारी के रूप में ले जाया जा रहा था।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश के. के. और अन्य, प्रकाशित एआईआर 2008 एससी 2871** पर अवलंब लिया और दृढ़पूर्वक यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि, अपीलार्थी/बीमाकर्ता न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिकर राशी जमा करने के बाद प्रत्यर्थी क्रमांक 5/टैंकर के मालिक द्वारा प्रतिकर के रूप में इसे वसूल कर सकता है। प्रत्यर्थी क्रमांक 5/टैंकर के मालिक द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. उभय पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मैंने अभिलेख का अध्ययन किया है। जिस दुर्घटना कारित करने वाले वाहन में घायल व्यक्ति एक यात्री के रूप में सवार होकर किराए पर यात्रा कर रहा था, जो कि एक टैंकर अर्थात एक मालवाहक वाहन था। यह स्वीकार्य तथ्य है कि, अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर एक मालवाहक वाहन पर किराए पर ले जाए जा रहे यात्री के जोखिम को वहन करने का कोई भी दायित्व, चाहे वह वैधानिक हो या संविदात्मक, नहीं बनता है। इसलिए, न्यायाधिकरण ने यह सही ठहराया है कि, अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर प्रतिकर देने का कोई दायित्व नहीं बनता है। उपरोक्त परिदृश्य में जहाँ अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर एक मालवाहक वाहन में किराए पर ले जाए जा रहे यात्री के जोखिम को वहन करने का कोई भी दायित्व, चाहे वह वैधानिक हो या संविदात्मक, नहीं बनता है, ऐसे में न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी/बीमाकर्ता के विरुद्ध भुगतान और वसूली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्याय दृष्टान्त का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बीमाकर्ता के विरुद्ध भुगतान और वसूली का आदेश पारित किया जाता है।

12. इस न्यायालय द्वारा एम. ए. (सी.) क्रमांक 1243 / 2007, एम. ए. (सी.) क्रमांक 1292 / 2007, एम. ए. (सी.) क्रमांक 1244 / 2007 और एम. ए. (सी.) क्रमांक 1271 / 2007 में 19.02.2008 को पारित आदेश में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गयी थी:-

"..... यह सत्य है कि, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर, प्रकाशित (2004) 2 एससीसी 1, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी और अन्य, प्रकाशित 2002 (9) स्केल 172, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, शिमला बनाम कमला और अन्य, प्रकाशित (2001) 4 एससीसी 342 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय और अन्य, प्रकाशित 2006 (2) टी.ए.सी. 1 (एससी)** के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बीमा कंपनी को पहले प्रतिकर देने और फिर उसे मालिक से वसूल किये जाने का आदेश दिया है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोमिथी सुब्बयम्मा और अन्य (पूर्वोक्त)** का आदेश भी वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, ऐसे मामलों में बीमा कंपनी पहले दावेदारों को प्रतिकर देने और फिर मालिक से इसे वसूल करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोमिथी सुब्बयम्मा और अन्य (पूर्वोक्त)** में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी और अन्य, प्रकाशित 2003 (2) एससीसी 223** में दिए गए टिपण्णी का उल्लेख किया गया है जो की निम्नवर्णित है :-

" न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणियाँ, जिसे **आशा रानी (पूर्वोक्त)** मामले में, जिसमें हमारे बीच से एक न्यायाधीश सिन्हा द्वारा भी एक पक्ष रखा गया था, हालांकि, दोहराव के योग्य हैं:-

26. अधिनियम,1939 की तुलना में अधिनियम,1988 में प्रासंगिक प्रावधानों में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, हमारा यह मत है कि "किसी व्यक्ति" शब्द का अर्थ उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भी निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें उनका प्रयोग किया गया है, अर्थात् "तीसरा पक्ष"। अधिनियम,1988 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि चूँकि इसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रावधान किसी वाहन स्वामी पर मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने का कोई वैधानिक दायित्व नहीं डालते, इसलिए बीमाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

आशा रानी (पूर्वोक्त) मामले में यह देखा गया है कि अधिनियम,1988 की धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (ख) का उप-खंड (i) उस दायित्व की बात करता है जो किसी वाहन स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को होने वाली क्षति के संबंध में वहन किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होता है। इसके अलावा, एक यात्री वाहन के स्वामी को वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों के जोखिमों को वहन करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 1994 के संशोधन के सन्दर्भ में, प्रीमियम केवल तीसरे पक्ष को वहन करेगा साथ ही माल के स्वामी के लिए, और उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही वहन करेगा, न कि मालवाहक वाहन में ले जाए जा रहे किसी भी यात्री को, चाहे वह किराए पर हो, पारिश्रमिक पर हो, या अन्यथा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1994 के संशोधन के बावजूद, धारा 147 में निहित प्रावधान का प्रभाव माल के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में यथावत बना हुआ है। हालांकि, माल के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अब एक मालवाहक वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन विधायिका का उद्देश्य, विशेष रूप से निःशुल्क यात्रियों के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व का प्रावधान किया जाना नहीं था, जिसके बारे में न तो बीमा अनुबंध में प्रवेश करते समय विचार किया गया था, और न ही लोगों की ऐसी श्रेणी के बीमा के लाभ की सीमा तक कोई प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा वार्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप अपीलार्थी/बीमाकर्ता के विरुद्ध भुगतान और वसूली का आदेश पारित किया जाने न्यायोचित नहीं था।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। वह आक्षेपित अधिनिर्णय, जिसके तहत अपीलार्थी/बीमाकर्ता को अधिनिर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रतिकर देने और प्रत्यर्थी क्रमांक 5/टैंकर के मालिक से इसे वसूल करने का आदेश दिया गया था, को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णित प्रतिकर को प्रत्यर्थी क्रमांक 5/टैंकर के मालिक से वसूल करने का हकदार होगा।

हस्ता. /-

दिलीप रावसाहब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में आदेश का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **आदेश का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Ujjwal Choubey**.....**